राजकोषीय नीति कार्ययोजना विवरण

क राजकोषीय नीति का सिंहावलोकन

पिछले चार वर्षों की विकास प्रवृत्तियां अर्थव्यवस्था में निरंतर विकास को इंगित करती हैं। बढ़ती हूई उत्पादकता, सेवा क्षेत्र की वृद्धि तथा विकास से सम्बद्द कर प्राप्तियों में अत्यधिक वृद्धि और कुछ सीमा तक, अधिक तर्कसंगत उदार और सक्षम कर प्रणाली के परिणामस्वरूप कर अनुपालन और प्रवर्तन में सुधार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित परिमाणात्मक लक्ष्य प्राप्त करने में योगदान किया है। राजकोषीय घाटे में 2003-04 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.5 प्रतिशत से सं, अ. 2007-08 में जीडीपी के 3.1 प्रतिशत तक की कमी लाई गई है। इसी अवधि के दौरान, राजस्व घाटे में जीडीपी के 3.6 प्रतिशत से 3.6 प्रतिशत से 1.4 प्रतिशत तक की कमी हुई है। वर्ष 2007-08 में स्थिर कीमतों (1999-2000) पर उपादान लागत पर जीडीपी के विकास के अग्रिम अनुमान 8.7 प्रतिशत पर स्थिर रहे जो पिछले चार वर्षों की औसत वृद्धि रही है यद्यपि यह 2006-07 (त्वरित अनुमान 9.6 प्रतिशत) की तुलना में 0.9 प्रतिशत अंक कम है। यह मंदी विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्याशित विकास की तुलना में कम रही है, यद्यपि सेवा क्षेत्र ने निरन्तर वर्ष 2007-08 की पहली छमाही में दो अंक की रिकार्ड विकास दर दर्ज की। मुख्यतया अत्यधिक सब्सिडी बिल और ब्याज अदायगियों के कारण आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय में वृद्धि के बावजूद, राजस्व व्यय में वृद्धि से कर प्राप्तियों के अधिक होने से हुए सुधार के माध्यम से घाटा संकेतकों में सुधार हुआ है। कर-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में सुधार, कर-भिन्न राजस्व में संतुलित वृद्धि, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सामाजिक क्षेत्रों के लिए पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करते हुए अवसंरचना विकास को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय के संवर्धन सहित व्यय की प्राथमिकता नए सिरे से निर्धारित करके और गुणवत्ता में सुधार लाकर राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया में निरन्तरता लाई जाती रहेगी।

ख आगामी वित्त वर्ष हेतु राजकोषीय नीति

2. वर्ष 2008-09 का बजट दसवीं योजना में प्राप्त राजकोषीय समेकन की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें ग्यारहवीं योजना के तीव्रतर और अधिक समावेशी वृद्धि के उद्देश्य को कार्यान्वित करने के लिए वांछित संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए एक सुदृढ़ बुनियाद मुहैया कराई गई है। सरकार की तीव्रतर और अधिक समावेशी वृद्धि सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता तथा विकास में आपूर्ति संबंधी अड़चनों को दूर करने की आवश्यकता वर्ष के लिए राजकोषीय नीतिगत उद्देश्यों में समाहित है। मुद्रास्फीति के क्षेत्र में उपलब्ध महत्वपूर्ण रही है परन्तु अन्य बातों के साथ-साथ बढ़ती हुई ऊर्जा की कीमतों, खाद्यान्नों और पण्य वस्तुओं की कीमतों और निरन्तर पूंजी प्रवाह, जिनमें मुद्रास्फीतिकारी संभावना होती है, से उत्पन्न होने वाले मंदीकारक जोखिमों पर राजकोषीय, प्रशासनिक और मौद्रिक नीतिगत उपायों के माध्यम से ध्यान देने की आवश्यकता होगी। विश्व वृहद आर्थिक और वित्तीय माहौल में महत्वपूर्ण परिवर्तनों से जुड़ी अनिश्चितता भी राजकोषीय नीति प्रबंधन में मुख्य चिन्ता का विषय बनी हुई है।

3. ब्याज भुगतान, रक्षा,पेंशन,वेतन सब्सिडियों आदि जैसी मदों पर वचनबद्ध और अपरक्राम्य व्ययों के दबाव के बावजूद वर्ष 2008-09 की राजकोषीय नीति ग्रामीण रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित सामाजिक क्षेत्रों में बढ़ते आवंटन द्वारा अपेक्षाकृत तीव्र और समावेशी विकास प्राप्त करने के महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए वचनबद्ध रही है। साथ ही रोजगार, निवेश तथा उपभोग स्तरों में तेजी लाने के लिए ढांचागत क्षेत्र में सुधार के लिए पर्याप्त संसाधनों का सुनिश्चय करना है। सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, राजीव गांधी पेयजल मिशन, पूर्ण स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और जवाहरलाल नेहरु शहरी नवीकरण मिशन नामक सरकार के आठ अग्रगामी कार्यक्रमों के सम्बन्ध में प्रावधान में की गयी बढ़ोतरी से यह प्रदर्शित होता है कि उच्च प्राथमिकता क्षेत्रों के रूप में ऐसे कार्यक्रम जारी रहेंगे। इन कार्यक्रमों में समाज के वंचित तबकों की भागीदारी और उन्हें आर्थिक विकास के लाभ प्राप्त करने की अनुमति होगी। इसके अलावा, 'भारत निर्माण' योजना को अतिरिक्त निधियां भी उपलब्ध करायी गयी हैं। देश में शहरों में ढ़ांचागत सुविधाएं भयंकर दबाव में हैं। राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन की मंशा पहचान किए गए क्षेत्रों में शहरी आधारभूत संरचना सम्बन्धी समस्याओं का समाधान करना है।

4. कुल कर प्राप्तियों में प्रत्यक्ष कर के प्रतिशत के रूप में 50 प्रतिशत से अधिक होने और सेवा कर के राजस्व के उदीयमान स्रोत के रूप में उभरने से प्राप्तियों की संरचना में परिवर्तन हो रहा है। बजट 2008-09 में किए गए अनुमान के अनुसार कर निष्पादन के लगभग संतोषजनक होने की आशा है। जिससे सरकार कर प्राप्तियों के माध्यम से अधिक संसाधन जुटाने में समर्थ होगी। राज्य सरकारों को भी अधिक सुर्पुदगी के माध्यम से लाभ होगा जो 2007-08 के संशोधित अनुमान की तुलना में 2008-09 के बजट अनुमान में 17.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करेंगे। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वैट प्रणाली अपनाने से कर सुधार के क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण विकास हुआ है। वैट लागू करने वाले राज्यों की तुलना में राजस्व संग्रहण की प्रारंभिक प्रवृत्ति सभी राज्यों में पहले 7 माह में हुई वृद्धि इन राज्यों में पिछले पांच वर्षों में हुई संयुक्त वार्षिक वृद्धि की तुलना में अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुई।

राजकोषीय समेकन को जारी रखने हेतु सरकार की कार्य-योजना

कर नीति

5. हाल के वर्षों में कर नीति राजकोषीय समेकन की प्राप्ति हेतु कर-सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) अनुपात को बढ़ाने के महत्वपूर्ण

उद्देश्य से शासित रही है। इसे उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेपों और कर प्रशासन की गुणवत्ता तथा प्रभावकारिता में त्वरित सुधार के माध्यम से प्राप्त किए जाने का प्रयास किया गया है। नीतिगत सन्दर्भ में, संयत और कुछ दरों की कार्ययोजना, छूटों को हटाना और कर आधार को व्यापक बनाने से अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। कर प्रशासन के सम्बंध में सूचना प्रौद्योगिकी समाधानों के व्यापक आत्मसात से एक कम हस्तक्षेप प्रणाली सम्भव हुई और जिससे स्वैच्छिक अनुपालना को बल मिला। व्यापक अर्थ में, प्रत्यक्ष करों द्वारा प्राप्त अपेक्षाकृत उच्च वृद्धि से सूचित होता है कि कर प्रणाली परिपक्व हो रही है। वर्ष 2007-08 में प्रत्यक्ष कर राजस्व की पहली बार अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त राजस्व से आगे निकलने की आशा है। अप्रत्यक्ष कर पक्ष के संदर्भ में, लक्ष्य वस्तु (केन्द्रीय उत्पाद) तथा सेवा करों को एकीकृत करने का है। और अन्त में एक व्यापक वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) की ओर बढ़ना है। इसका उद्देश्य जीडीपी के रूप में सेवा क्षेत्र के अंशदान को ध्यान में रखते हुए सेवाकर से राजस्व आय में सुधार करने का है।

अप्रत्यक्ष कर

सीमा शुल्क

* अमरीकी डॉलर के मुकाबले रुपए में तीव्र अधिमूल्यन के परिणामस्वरूप कृषि-भिन्न वस्तुओं पर सीमाशुल्क की शीर्ष दर 10 प्रतिशत पर यथावत रखी गयी है।

* सुधारों की गति को बनाए रखते हुए 'परियोजना संबंधी आयात' पर सीमाशुल्क की दर को 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है। इससे बड़ी परियोजनाएं आरंभ करने हेतु प्रोत्साहन मिलेगा तथा क्षमता विस्तार और मौजूदा उद्योगों के आधुनिकीकरण को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

* निर्यात संवर्धन के लिए खेल-कूद के सामानों के उत्पादन हेतु विनिर्दिष्ट मशीनरी और कच्चे माल पर तथा रत्न और आभूषण क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले क्यूनिकजरकोनिया (खुरदरे और पॉलिश किए गए) और खुरदरे मूंगों पर भी सीमाशुल्क की कटौती की गई है।

* देश में मूल धातुओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए लौह या इस्पात गलनशील स्क्रैप और एल्युमिनियम स्क्रैप जो लौह एवं अलौह क्षेत्रक के लिए कच्ची सामग्रियां हैं, पर आयात शुल्क में छूट दी गई है।

* देश के क्रोमियम अयस्क के संरक्षण में मदद करने के लिए और इस दुर्लभ कच्ची सामग्री की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के प्रयोजन से क्रोमियम अयस्क और सान्द्रण पर निर्यात शुल्क बढ़ाई गई है।

* इलेक्ट्रानिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर क्षेत्रक के लिए विभिन्न एफटीए और पीटीए के कारण उठने वाले विपर्यय की समस्या का अंत उपयोग आधार पर विशिष्ट कच्ची सामग्रियों पर सीमाशुल्क में छूट प्रदान करके समाधान करने के प्रयास किये गए हैं।

* मौजूदा छूटों की सतत् समीक्षा के भाग के रूप में 'विशिष्ट पोलीमर के विनिर्माण के लिए आयातित नाप्था' से सीमाशुल्क हटा दिया गया है।

उत्पाद शुल्क

* सामान्य सेनवैट दर घटाकर 16 प्रतिशत से 14 प्रतिशत कर दी गई है अर्थात केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में 12.5 प्रतिशत की कटौती की गई है। इससे घरेलू निर्माण क्षेत्रक के विकास में तेजी आने की संभावना है जिसकी गति धीमी रही है।

* कम उत्पाद शुल्कों के द्वारा विकास को प्रोत्साहित करने हेतु अनेकानेक सेक्टर विशिष्ट हस्तक्षेप भी किए गए हैं। महत्वपूर्ण सेक्टर हैंः ऑटोमोबाइल, कागज, औषधि और भेषज तथा खाद्य प्रसंस्करण।

* स्वच्छ पेय जल मुहैया कराने के लिए वाटर फिल्टरिंग और परिशुद्धिकरण उपकरणों पर उत्पाद शुल्क कम कर दिया गया है।

* राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि की पुनःपूर्ति करने के लिए मोबाइल फोनों पर एक प्रतिशत राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क अधिरोपित किया गया है।

* सीमेन्ट क्लिंकर और फिल्टर रहित सिगरेटों पर शुल्क की विशिष्ट दरों का यौक्तिकीकरण किया गया है।

सेवा करः

* सेवा कराधान का विस्तार, कानून और प्रक्रिया का सरलीकरण, सुधरा हुआ कर प्रशासन और कर अनुपालन में वृद्धि 2007-08 के दौरान भी सेवाकर राजस्व संग्रहण में उच्च वृद्धि दर्शाती रही। अप्रैल-दिसंबर, 2007 की अवधि के दौरान सेवाकर राजस्व पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि की तुलना में लगभग 37 प्रतिशत बढ़े हैं।

* छोटे सेवा प्रदाताओं को सुविधा देने और प्रशासनिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए छोटे सेवा प्रदाताओं को सेवा कर से पूर्ण छूट के लिए वार्षिक कारोबार की आरंभिक सीमा दिनांक 1.4.2008 से 8 लाख रुपये से बढ़ाकर

10 लाख रूपये की गयी है। इस छूट से लगभग 65,000 छोटे सेवा प्रदाता लाभान्वित होंगे।

* सरकार की कराधार के विस्तार की घोषित नीति के अनुरूप सेवा कर पर प्रभार्य सेवाओं के क्षेत्र और कवरेज में अधिक सेवाएं जोड़कर और कुछ विद्यमान सेवाओं के क्षेत्र में विस्तार करके इसे और बढ़ाया जा रहा है।

प्रत्यक्ष कर

6. पिछले चार वर्षों में प्रत्यक्ष कर के क्षेत्र में व्यापक सुधार किए गए हैं। ऐसे सुधारों की कसौटी निम्नलिखित हैः—

* कर संरचना के अन्तर्गत व्याप्त विसंगतियों को कर आधार को व्यापक बनाकर और संयत कर दरों को बनाए रखते हुए कम किया गया है।

* कर प्रशासन को चुस्त किया गया है ताकि करदाता सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके और साथ ही निवारक स्तरों में बढ़ोतरी हो। इन दोनों उद्देश्यों से एक दूसरे को सहायता मिलेगी और स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा मिलेगा।

* आयकर विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी अर्थात विवरणियों की ई-फाइलिंग,ईसीएएस, और रिफंड बैंकों के माध्यम से वापसी; कम्प्यूटरों के माध्यम से विवरणियों की संवीक्षा हेतु चयन आदि के जरिए बिजनेस प्रक्रियाओं को नया रूप दिया गया है। इन उपायों से विभाग का आधुनिकीकरण हुआ है और उसकी कार्यात्मक क्षमता में बढ़ोतरी हुई है।

7. 2006-07 और 2007-08 के केन्द्रीय बजट में, प्रत्यक्ष कर सुधारों के क्षेत्र में वर्ष 2005-06 के बजट की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को ठोस रूप देना सम्भव हुआ है। वर्ष 2007-08 के केन्द्रीय बजट में आयकर संविधि में उपलब्ध कराई गयी कुछ महत्वपूर्ण छूटों के कर आधार को व्यापक बनाने हेतु या तो समाप्त कर दिया गया है या उनमें कटौती की गयी है। उदाहरणार्थ, मैट आधार को एसटीपीआई इकाइयों और निर्यातोन्मुख इकाइयों के लाभों को इसके दायरे में लाकर विस्तारित किया गया; शेयर धारकों के लाभों के वितरण के संबंध में घरेलू कम्पनियों के लिए लाभांश वितरण कर (डीडीटी) दर को बढ़ाया गया; मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंडों (एमएमएमएफ) और नकदी निधियों (एलएफ) के संबंध में यूनिट धारकों को आय वितरण पर लाभांश वितरण कर की नई दरें विनिर्दिष्ट की गयीं; दीर्घकालिक पूंजी परिसम्पत्ति की बिक्री पर इन्हें कतिपय बांडों में निवेशित कर पूंजी लाभकर की गैर-प्रभार्यता को वर्ष में 50 लाख रूपए की अधिकतम लागत पर सीमित किया गया।

8. केन्द्रीय बजट 2008-09 के नीतिगत प्रस्तावों की मंशा पिछले चार वर्षों में प्राप्त की गयी उपलब्धियों को और ठोस रूप देना है। कुछ मुख्य प्रस्ताव इस प्रकार हैंः

(i) वैयक्तिक आय कर (पीआईटी) दर संरचना की व्यष्टियों, हिन्दु अविभक्त कुटुम्बों आदि के लिए प्रारम्भिक सीमा को बढ़ाकर और आय स्लैबों में संशोधन कर युक्तिसंगत बनाना।

(ii) वस्तु लेनदेन कारोबार (सीटीटी) को उन वस्तुओं के सम्बन्ध में प्रारम्भ करना जिनका एसटीटी की ही तर्ज पर मान्यता प्राप्त वस्तु विनिमय केन्द्रों में व्यापार होता है।

(iii) करों से छूट के बजाय आय से कटौती के रूप में एसटीटी भुगतान की अनुमति देना, यह उन मामलों के सम्बन्ध में है जहां कर निर्धारिती-प्रतिभूतियों की बिक्री से कारोबार आय प्राप्त करता है।

(iv) "धमार्थ उद्देश्य" शब्द के विस्तार को इसकी परिभाषा में संशोधन कर सीमित करना; और इस प्रकार कई "गैर-धमार्थ" गतिविधियों को कर दायरे के भीतर लाना।

(v) इक्विटी शेयरों के सम्बन्ध में धारिता की अवधि मौजूदा बारह महीनों से बढ़ाकर चौबीस माह करके अल्पकालिक पूंजी परिसम्पत्ति की परिभाषा में संशोधन करना।

(vi) टीडीएस प्रावधानों के दायरे में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कम्पनियों द्वारा जारी बांडों पर ब्याज आय में छूट देना ताकि वे बांड बाजार का विकास तथा उसे मजबूत बनाने में सक्षम हों।

(vii) सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत के अंतर्निहित लाभों को बढ़ाकर सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रचालनों की तर्ज पर बेहतर कर दाता सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिलाभ की केन्द्रीयकृत प्रक्रियान्वयन योजना का आरंभन।

(viii) उन्नत कर दाता सेवाएं प्रदान करने के लिए कुछ प्रक्रियात्मक विषयों को चुस्त-दुरूस्त करना।

9. बेहतर करदाता सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए कर प्रशासन का आधुनिकीकरण सरकार का निरन्तर प्रयास रहा है। इस संबंध में कंपनियों के लिए अनिवार्य रूप से विवरणियों की इलेक्ट्रोनिक फाइलिंग (पिछले वर्ष आरम्भ की गई) का इस वर्ष फर्मों तक विस्तार किया गया। कर निर्धारितियों के इस खंड से जहां बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया रही है, वहीं सर्वाधिक उत्सार्वधक बात यह रही है कि 31.01.2008 तक लगभग 7 लाख कर दाताओं ने स्वैच्छिक रूप से अपनी विवरणियां ई-फाईल की है। यहां यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि इस संबंध में आयकर विभाग की पहलों को प्रशंसा और मान्यता प्राप्त हुई है और इसे ''**नागरिक केन्द्रीय**

सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए राष्ट्रीय ई-गर्वनेंस रजत पुरस्कार'' प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त करदाताओं की सभी श्रेणियों के लिए (लाभ न कमाने वाले संगठनों के अतिरिक्त) अनुबंध रहित विवरणियां शुरू करना उल्लेखनीय करदाता सेवा है।

10. सभी सक्षम कर प्रशासनों की एक महत्वपूर्ण विशेषता एक प्रभावी करदाता सूचना प्रणाली है। पिछले कुछ वर्षों में, आयकर विभाग क्रमिक रूप से करदाताओं के वित्तीय लेनदेनों के बारे में सूचना एकत्र करने और परितुलन करने की अहस्तक्षेपकारी पद्धतियों को अपना रहा है। जहां वार्षिक सूचना विवरणी पहले ही चलन में है, और इसने विभाग के डाटाबेस को सुदृढ़ किया है, ऊपर किए गए उल्लेखानुसार, कर निर्धारितियों की विभिन्न श्रेणियों द्वारा विवरणियों की इलेक्ट्रोनिक फाइलिंग ने विभाग के सूचना बैंक में पूरी तरह एक नया आयाम जोड़ा है। जैसे-जैसे करदाताओं के बारे में अधिक सूचना उपलब्ध होगी, विभाग कर अपवंचकों को लक्षित करने के साथ-साथ बेहतर करदाता सेवाएं उपलब्ध कराने में सक्षम होगा।

आकस्मिकता और अन्य देनदारियां

11. राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमों में केन्द्रीय सरकार द्वारा ग्रहण की जा सकने वाली गारंटियों की मात्रा पर सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा परिकल्पित है। सरकारी गारंटियों पर वर्तमान नीति गारंटियों को केवल गैर-निजी क्षेत्र तक सीमित करती है। नियमों के अन्तर्गत निर्धारित अधिकतम सीमा के भीतर, केन्द्र सरकार बहुपक्षीय अभिकरणों से ऋणों, सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों पर जुटाए गए ऋणों, उदाहरणार्थ नकदी ऋण सीमाओं के लिए एफसीआई, भारत आधारभूत ढांचा वित्त कंपनी के उधारों पर गारंटियां प्रदान करती है। सरकार द्वारा दी गई गारंटियों के रूप में आकस्मिक देयताओं का भण्डार वर्ष 2005-06 के अन्त में 1,10,626 करोड़ रुपए से मामूली घटकर वर्ष 2006-07 के अंत में 1,09,826 करोड़ रुपए हो गया है। उसी अवधि के दौरान गारंटियों की संख्या भी 492 से घटकर 466 हो गई है। वर्ष 2006-07 के दौरान बकाया गारंटियों के लिए कोई निवल अनुवृद्धि नहीं हुई है। अपने राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के लिए केन्द्र सरकार की उधार लेने की नीति जारी है। ब.अ. 2008-09 में, अपनी सरकार की नकदी अधिशेष से उपयोग करने से स्टॉक में कमी को भी राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के स्रोत के रूप में देखा गया है। उधार लेने के सम्बन्ध में निम्नलिखित पर बल दिया जाता है: (i) विदेशी ऋण की तुलना में घरेलू उधारों पर अधिक भरोसा, (ii) प्रशासित ब्याज दरों वाली उच्च लागत और बाजार विपणनकारी लिखतों की तुलना में बाजार उधारों के लिए अधिक अधिमान (iii) अपने ऋण पोर्टपोलियो की परिपक्वता की रूपरेखा का दीर्घीकरण और इसका समेकन, और (iv) द्वितीयक बाजार की कारोबारिता सुधारने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों हेतु गहन और विस्तृत बाजार का विकास करना। परिपक्वता प्रोफाईल को दीर्घ बनाने के निमित्त नीतिगत भाग के रूप में काफी समय से केन्द्र सरकार अधिकतम 30 वर्ष परिपक्वता वाली प्रतिभूतियां जारी करती आ रही है। अपने प्रतिभूति पोर्टफोलियो को निश्चेष्ट रूप से सुदृढ़ करने की दृष्टि से नए निर्गमों की अपेक्षा पुनर्निर्गमों को प्राथमिकता दी जाती है। सरकार वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान अनुमानित बाजार उधारों का वित्तपोषण करने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने में कोई मुश्किल नहीं देखती है।

12. आरबीआई को इसकी मौद्रिक नीति के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करने के लिए बाजार स्थिरीकरण योजना का पटल केन्द्रीय सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच समझैता ज्ञापन के रूप में वर्ष 2008-09 के दौरान कायम रखा जा रहा है। वर्ष 2008-09 के लिए एमएसएस की अधिकतम सीमा 250,000 करोड़ रुपए रखी गई है। वर्ष 2008-09 के दौरान एमएसएस की प्रचालन लागत 13,958 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

13. राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों, सीपीएसयू आदि के लिए वित्तीय मध्यस्थ के रूप में केन्द्र सरकार की भूमिका पिछले कुछ समय से कम हो रही है। देश में वित्तीय बाजार के विकास और आर्थिक सुधारों की भावना से यह कमी सतत् रूप से हो रही है जो एक ओर बेहतर बाजार जांच और अनुशासन की परिकल्पना करती है और दूसरी ओर राज्यों कैसे और किससे उधार लिया जाए या अन्य के लिए विकल्प चुनने की वांछनीयता एवं स्वतंत्रता देने की भी परिकल्पना की जाती है। राज्यों के करों के हिस्से के माध्यम से वर्धित अंतरण ने भी राज्यों की उच्च राजकोषीय स्थिति में योगदान दिया है।

लोक व्यय प्रशासन संबंधी पहलें

14. व्यय की गुणवत्ता में विकास राजकोषीय सुधार कायम रखने की कुञ्जी है। एफआरबीएमए की वचनबद्धता के अधीन, जिसमें राजस्व व्यय सन्निहित है, और उत्पादक परिसम्पत्तियों के लिए पूंजीगत व्यय प्रोत्साहित करना राजकोषीय सुधार सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। आवंटन का दृष्टिकोण आयोजनागत और आयोजना-भिन्न मापदंड पर आधारित है। आजोनागत व्यय विकास व्यय के प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। इसलिए, आयोजना-भिन्न व्यय को नियंत्रित करना और उसके द्वारा प्राथमिकता वाली योजनाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अतिरिक्त संसाधन जारी करना, समय-समय पर किए गए विभिन्न व्यय प्रबंधन के उपायों का केन्द्र बिन्दु है। आगे, व्यय का पता लगाने की कुशल विधि की आवश्यकता, व्यय की गुणवत्ता में सुधार और सुपुर्दगी प्रणाली की दक्षता और जवाबदेही में बढ़ोतरी की पहचान निधियों का बेहतर ढ़ंग से पता लगाने और धन के सही मूल्य निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण रूप में की गई है।

- फोकस की दिशा परिव्ययों से हटकर परिणामों में बदल गई है। ऐसे परिवर्तन से यह सुनिश्चित होने की आशा की जाती है कि बजटीय प्रावधानों का व्यय वास्तविक आशयित परिणाम प्राप्त करने में किया जाता है। सरकार ने अगस्त 2005 में अपने आयोजना व्यय के संबंध में पहली बार परिणाम बजट प्रस्तुत किया। यह वास्तविक परिणामों की पहचान करने, मॉनिटर करने

और मूल्यांकन करने हेतु उठाया गया कदम है। वर्ष 2008-09 के परिणाम बजट विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा पृथक रूप से शीघ्र ही प्रस्तुत किए जाएँगे।

- धन का समय पर उपयोग करने पर जोर दिया जा रहा है। चूँकि कार्यान्वयनकारी निकायों को केवल निधियाँ जारी करने से वास्तविक व्यय सुनिश्चित नहीं होता है, अतः जारी निधियों के समय पर उपयोग पर बल दिया गया है। चौथी तिमाही में विशेषतया मार्च में वर्ष के शेष भाग की व्यय क्षमता के अनुरूप निधियाँ जारी की गई है। इस प्रकार जारी करने वाले निकायों के हाथों में अतिरिक्त निधियां/उपयोग न की गई निधियों को हतोत्साहित किया गया है। इस संबंध में प्रवर्तन और अनुशासन जारी रखा जाएगा।

- एक संशोधित और अद्यतन ''सामान्य वित्तीय नियमावली'' का कार्यान्वयन किया गया है। संशोधित नियमावली में नियमों का सरलीकरण और प्रशासनिक मंत्रालयों को उनके वित्तीय मामलों की व्यवस्था करने हेतु, प्राधिकार के बेहतर प्रत्यायोजन पर बल दिया गया है। यह उपाय जवाबदेही को सुनिश्चित करने के साथ-साथ निर्णयों पर तीव्र कार्रवाई करने हेतु किया गया है।

- सुदृढ़ नकदी प्रबंधन प्रणाली और पिछली तिमाही के दौरान व्यय की अधिकता कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास में, एक तिमाही राजकोष नियंत्रण आधारित व्यय प्रबंधन प्रणाली तेईस अनुदान मांगों के संबंध में क्रियान्वित की जा रही है, अर्थात (i) कृषि और सहकारिता विभाग (ii) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (iii) उर्वरक विभाग (iv) वाणिज्य विभाग (v) दूरसंचार विभाग (vi) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (vii) विदेश मामले विभाग (viii) आर्थिक कार्य विभाग (ix) भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग (x) राजस्व विभाग (xi) प्रत्यक्ष कर (xii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (xiii) स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (xiv) उच्च शिक्षा विभाग (xv) पंचायती राज मंत्रालय (xvi) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (xvii) विद्युत मंत्रालय (xviii) ग्रामीण विकास विभाग (xix) अप्रत्यक्ष कर (xx) सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग (xxi) कपड़ा मंत्रालय (xxii) शहरी विकास मंत्रालय (xxiii) महिला और बाल विकास विभाग।

- पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ाने के उद्देश्य से मंत्रालय को अपनी मासिक प्राप्तियों और व्यय का सार आम जनता के लिए (अपनी वेबसाइट आदि द्वारा) जारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और विशेषतया विभिन्न राज्यों को योजना वार जारी निधियों का खुलासा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्राप्तियों और भुगतानों की समेकित मासिक स्थिति प्रत्येक महीने में सार्वजनिक की जाती है।

- बेहतर व्यय अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु लेखांकन विभाग केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से सरकारी प्राप्ति तथा व्यय की प्रास्थिति की ऑनलाइन ट्रेकिंग की व्यवस्था करने हेतु ई-लेखा कार्यक्रम को विस्तारित कर रहा है जिसे विभिन्न केन्द्र/राज्य की योजनाओं के सम्बन्ध में ऑनलाइन निर्मुक्तियों की प्रास्थिति को ग्रहण करने हेतु विस्तार दिया जा रहा है। यह पहल पहले ही 27 अग्रगामी योजनाओं पर निर्मुक्तियों की ट्रेकिंग प्रास्थिति के माध्यम से जारी है और सभी केन्द्रीय योजनाओं को अल्पावधि में कवर करने की आशा है। वर्ष 2008-09 में महालेखा नियंत्रक योजना आयोग की आयोजना स्कीम के जरिए ऑनलाइन ट्रेकिंग सम्बन्धी कार्यक्रम और जिला/खंड स्तरों से ग्रहण की गयी सुदृढ़ ऑनलाइन रिपोर्टिंग तंत्र के जरिए भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत व्यय के सम्बन्ध में रिपोर्टिंग कार्य को हाथ में लेने को तैयार है। इस पहल से परिव्यय के मुकाबले परिणाम में निहित अन्तराल को पाटने की आशा की जाती है।

- मंत्रालयों को सलाह दी जाती है कि राजस्व दबावों की स्पष्ट पहचान पर अधिक बल दें और विभिन्न परियोजनाओं/स्कीमों के लिए अपेक्षित बजटीय प्रावधानों के वस्तुपरक अनुमान ही लगाएं। वित्तीय रूप से व्यवहार्य होने वाले मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रस्तावित स्कीमों के लिए बल दिया जाए और निर्धारित दर से कम की प्रतिलाभ की आंतरिक दर रखें। और जहां ऐसा परिमाणन संभव न हो तो स्कीमों का सामाजिक-आर्थिक लागत-लाभ विश्लेषण स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए।

- वाणिज्यिक उपक्रमों के कर-भिन्न राजस्व बढ़ाने और प्रचालनात्मक हानियां घटाने के दृष्टिगत प्रयोक्ता प्रभारों की समीक्षा को युक्तिसंगत बनाना जारी रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त निवेश पर प्रतिफल में सुधार होते ही और सुधारों की संभावना है और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बेहतर कार्य निष्पादन के परिणामस्वरूप अस्थायी राजकोषीय रियायतों को चरणबद्ध समाप्त किया जाएगा।

नीतिगत मूल्यांकन

15. पिछले चार वर्ष प्रभावशाली राजस्व प्रोत्साहित राजकोषीय समेकन द्वारा चिन्हित हुए हैं। 2007-08 के संशोधित अनुमान में कार्य निष्पादन 2007-08 के बजट अनुमानों में राजस्व प्राप्तियों द्वारा बजटीय राशि से अधिक और आयोजना-भिन्न व्यय घटने से कार्य निष्पादन की तुलना में सुधार दर्शाया गया है। बजट 2008-09 एफआरबीएम लक्ष्यों के अनुसार व्यय में गुणवत्ता पर बल देते हुए राजकोषीय सुधार के मार्ग की ओर लौटना इंगित करता है। कर नीतियों के क्षेत्र में पहले ही क्रियान्वित नीतिगत उपायों के जारी रखने, व्यय प्रबंध आदि और इन क्षेत्रों में शुरू की गई नई पहलें, एफआरबीएम विवरणियों में शामिल अनुमानों का आधार बनी हैं।